न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 06/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.04.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/50

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वैशाली नगर, अजमेर जरिये सहायक क्षैत्रीय प्रबन्धक रीको ब्यावर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलरदार रायपुर
2. तहसीलदार साहब रायपुर
3. आर.आई हल्का सेदडा
4. पटवारी महोदय, पटवार हल्का अमरपुरा साराधना
5.

अप्रार्थी

राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्वि करने बाबत अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री घनश्याम पुरोहित प्रार्थी
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 14.12.2023

प्रार्थी की ओर से वकील श्री घनश्याम पुरोहित द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी /वादी राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) जिसको आगे रीको के नाम से संवोधित किया जा रहा है। यह विभाग उद्योग विभाग के अधीन आता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कार्य करवाये जाते है। उद्योग के लिए प्रोजेक्ट बनाकर औद्योगिक इकाईया हेतु प्लोट काटे जाते है, जिससे क्षेत्र का विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलते है। पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा सिर्फ जैतारण उपखण्ड का ही गठन किया हुआ था। जिसमें रायपुर तहसील व जैतारण तहसील के तमाम गांव आते थे। इन दोनों तहसीलों का प्रशासनिक कार्य उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा नियंत्रित किया जाता था एवं प्रशासनिक कार्य किये जाते थे। सराधना पहले तहसील रायपुर के अधीन आता है, पूर्व में यह गांव जैतारण उपखण्ड के अधीन आता है, इसलिए तत्कालीन समय में राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम सराधना तहसील रायपुर जिला पाली में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ4 (19) इण्ड / आई / 97 दिनांक 19.03.1997 के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रकबा 254-03-09 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (रीको) को किया गया था। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प4 (19) उ(आई)97 जयपुर दिनांक 31.01.2004 के अनुसार उक्त भूमि में से 15 बीघा कम करते हुए रकबा 239-03-09 बीघा भूमि के आवंटन आदेश जारी किये गये। दिनांक 06.08.1997 को पटवारी, सेंदडा एवं भू अभिलेख निरीक्षक, सेदडा द्वारा 235 बीघा भूमि का कब्जा रीको को सुपुर्द किया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प4 (19) उ(आई)97 दिनांक 19.05.1998 के अनुसार रकबा 24-10-01 बीघा निजी भूमि अवाप्त की गई जिसका कब्जा दिनांक 11.09.2002 को पटवारी सेदडा एवं भू अभिलेख निरीक्षक, सेदडा द्वारा रीको को सुपुर्द किया गया। दिनांक 11.09.2002 एवं 06.08.1997 को दिये गये भौतिक कब्जे के अनुसार रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु दिनांक 23.10.2003 को नियोजन किया गया एवं प्रथमचरण में 75 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया। रेवेन्यु रेकर्ड एवं नक्शें में जो वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र सराधना में आवंटित एवं अवाप्त खसरा नम्बरान की जमीन पूर्व में कब्जा प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

भूमि (06.08.1997 एवं 11.09.2002 से) भिन्न है। पटवारी हल्का एवं आरआई हल्का ने रीकों को आवंटित भूमि का सही नक्शा का तरमीम कर पेश नहीं किया गया था। जिसके कारण रीको को अपने औद्योगिक कार्य करने में बाधा आ रही है। वर्तमान में उक्त औद्योगिक क्षेत्र में से राष्ट्रीय राजमार्ग 158 (रास मांडल) के विकास का कार्य चल रहा है जो एन.एच.ए.आई. द्वारा करवाया जा रहा है। इस कारण उक्त औद्योगिक क्षेत्र की पुनः नियोजन की कार्यवाही रीको द्वारा की जा रही है, और भविष्य में उसकेनुसार ही प्रोजेक्ट बनाया जायेगा। वादी ने अपने वादपत्र के साथ जो वादी रीको की आवंटित जमीन है उसका नक्शा संलग्न किया जा रहा है और उसमें लाल स्याही से जो बाउण्डरी बताई गई है उक्त सारी जमीन रीको की होने से उसका रेवेन्यु रेकर्ड (नक्शें) को दुरुस्त करते हुए नक्शें में लाल स्याही से अंकित बाउण्डरी के अनुसार राजस्व रेकर्ड के नक्शें में जरिये दुरुस्तीकरण के तरमीम करवाया जाना जरुरी है ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो। और रीको अपनी योजनाओं की आगे भविष्य में क्रियान्विति कर सकें। इसके अलावा खसरा नम्बर 75, 77, 79, 80, 82 के पास जो ब्ल्यू रंग में रीको को आवंटित जमीन दर्शाई गई है उक्त जमीन इतनी कम क्षेत्रफल में है कि वहा रीको उद्योग की कोई इकाई स्थापित नहीं कर सकता है इसलिए उसे खसरा नम्बर 68/3 की जमीन राजस्व रेकर्ड में रीको का नाम नक्शें में दुरुस्तीकरण कर रेकर्ड में दर्ज करवावें । लैण्ड रेवेन्यु रुल्स 1957 के नियम 59 व 60 के अनुसार पटवारी को रेवेन्यु नक्शें में करेक्शन का अधिकार क्षेत्र भी है और तहसीलदार को नियम 60 के अनुसार भी रेकर्ड में दुरुस्तीकरण का क्षैत्राधिकार है। नियम 59 व 60 निम्न है-Copy of map for correction.-(i) The Patwari shall record all changes in the boundaries of Khasra Nos. on the trace of the village map supplied to him specially for the purpose. At the time of inspection, he shall note changes on the map in pencil and after the Inspector has checked the correction, they shall be inked in red. The checking by the Inspector should be completed by the 30th April.(ii) Along with the quadrennial Jamabandi. a trace of all the changes effected during the last four years in the map. shall be submitted to the Office Qanungo and the Sadar Qanungo, who will get all the changes incorporated in the copy of the map of the last Settlement in their respective offices.(iii) When the map for recording changes becomes unserviceable on being used year after year, the Patwari shall submit it to the Office Qanungo through the Inspector, for the preparation of a new map, showing the up-to-date field boundaries as they exist and omitting those which have disappeared. These corrections will also be incor- porated in the copy mentioned in the preceding paragraph and from that copy a fresh trace will be prepared to be supplied to the Patwari The old map shall be filed after the inspector and the Office Qanungo have signed the new map in token of its being checked and verified. The Patwari should himself prepare a fresh copy of the map and if he is unable to do so. he will submit it to the Office Qanungo who will get a copy of the map prepared by some other Patwari who knows tracing, on wages to be paid by the Patwari concerned.60. Corrections.-(i) All Revenue Officers are responsible for the correctness of the map used by the Patwari whom they concerned. (ii) During each inspection tour the Patwari shall compare the fields one by one with the map and shall note therein all changes in the field boundaries and other alterations after taking necessary measurements. (iii) If extensive survey operations are required at any time to correct the map of any village, the Patwari shall apply to the Inspector for the necessary survey instruments and for such assistance as may be required.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Such application should be made not later than the 31st October in the year when the necessity arises. The Inspector should himself assist the Patwari or arrange for the assistance by another Patwari efficient in survey.(iv) Correction in the working map will be done in the following circumstances.-(a) When a field is bound to have been divided into two or more fields, subject to the instructions given in para 62, a separate number shall be given to each field writing the original number as numerator and the fraction number as Rabot भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 131, 136 के तहत प्रतिवादीगण को भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजस्व रेकर्ड, नक्शें इत्यादि में दुरुस्तीकरण का या त्रुटि को सही करवाने का क्षेत्राधिकार भी है इसलिए यह वाद श्रीमान की सेवामें पेश किया जा रहा है। यह है कि रीको को यह जमीन आवंटित की गई थी उस वक्त सराधना पाली जिले में था और उसका प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्रीय प्रबंधक पाली द्वारा किया जाता था। वर्तमान में उक्त औद्योगिक क्षेत्र रीको ब्यावर के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रीको ब्यावर के द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा नये जिलों का आवंटन की घोषणा भी हो चुकी है इसलिए आवश्यकतानुसार इस वाद में संशोधन का अधिकार भी सुरक्षित रखा जा रहा है। यह है कि इस रेकर्ड के दुरुस्तीकरण हेतु पटवारी हल्का व प्रतिवादी तहसीलदार साहब रायपुर को मौखिक निवेदन किया गया था परन्तु उन्होने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। तदानुसार दिनांक 03.03.2023 को उपखण्ड अधिकारी रायपुर को पत्र प्रेपित कर निवेदन किया गया था, अतः बिनायदावा दिनांक 03.03.2023 को रेकर्ड में दुरुस्तीकरण नहीं होने के कारण वाद वमुकाम सराधना में उत्पन्न हुआ इसलिए यह दावा श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से पेश है । वादी विरुद्ध खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय की डिक्री सादिर फरमावें कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से रीको को जो सरकारी व निजी खातेदारी की जमीन औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी और जिसका कब्जा रीको को सुपुर्द कर दिया गया था। उक्त सुपुर्दगीनामें एवं दिये गये भौतिक कब्जे के अनुसार खसरा मैप में दुरुस्तीकरण किया जावें। जिसका नक्शें में लाल स्याही से अंकित किया गया है उक्त सारी भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शे में रीको के नाम दुरुस्तीकरण ग्राम सराधना में रीको की जमीन आई हुई है उस जमीन का उक्त गांव के नक्शे में रीको के नाम रेकर्ड में दुरुस्तीकरण करवाने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी गण तहसीलदार रायपुर का जबाव प्राप्त हुआ हैं जिसमें संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान तरमीम को खारिज करते हुए तरमीम दुरूस्त करने हेतु अनुशंषा की तहसीलदार रायपुर ने अपने जबाव में बताया कि जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश एफ 12 (3) (15)/राज/96/1189 दिनांक 01.03.1997 के द्वारा ग्राम सराधना तहसील रायपुर जिला पाली में 254-03-09 बीघा भूमि सेट अपार्ट की गई थी एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ4 (19) इण्ड/ आई / 97 दिनांक 19.03.1997 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ रकबा 254-03-09 बीघा भूमि आवंटन रीको को किया गया था।.राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प4 (19) उ(आई)97 जयपुर दिनांक 31.01.2004 के अन सार उक्त भूमि में से 15 बीघा कम करते हुए रकबा 239-03-09 बीघा भूमि के संशोधित आवंटन के आदेश जारी किये गये। दिनांक 06.08.1997 को पटवारी हल्का, सेंदडा एवं भू अभिलेख निरीक्षक, सेदडा द्वारा 235 बीघा भूमि का कब्जा रीको को सुपुर्द किया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प4 (19) उ(आई)97 दिनांक 19.05.1998 के द्वारा रीको को रकबा 24-10-01 बीघा निजी भूमि अवाप्त की गई जोकि आज भी रीको के खातेदर्ज रिकॉर्ड है।महोदय,दिनांक 06.08.1997 को दिये गये भौतिक कब्जे के अनुसार रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सराधना की स्थापना हेतु नियोजन दिनांक 23.10.2003 को किया गया। प्रथम चरण में 75 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया। जिसमें वर्तमान में कुछ फैक्ट्रियाँ संचालित है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रीको की भूमि जिसके खसरा नं. 68/ 3, 61 में से 2014 में एन एच 162 के विस्तार 4 लाईन की अवाप्ति के दौरान खसरा नं. 68/3 जिसका रकबा 0.2532 हैक्टेयर व खसरा नं. 61 जिसका रकबा 0.0230 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। अवाप्ति 0.2762 हैक्टेयर भूमि करने के उपरान्त रीको के पास में कुल 66.3901 हैक्टेयर जो वर्तमान रिकॉर्ड मुताबिक 66.3901 हेक्टेयर (262 बीघा 09 बिस्वा)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (डूंगर)

खसरा न. 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68/2, 68 / 3.68/4, /41, 68/496, 68/497, 68/503, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 63, 74 कुल खसरे 54 रीको के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रीको द्वारा निवेदन किया गया है कि जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक एफ12 (3) (15) / राज / 96/1189 दिनांक 01.03.1997 तथा उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ4 (19) इण्ड/ आई/ 97 दिनांक 19.03.1997 तथा राज्य सरकार द्वारा संशोधित उद्योग विभाग आदेश क्रमांक प4(19)उ(आई) 97 जयपुर दिनांक 31.01.2004 के साथ आंवटित भूमि का नक्शा उपलब्ध नहीं होने से इसकी आवंटन पत्रावली मय नक्शा पटवार मंडल अमरपुरा, तहसील कार्यालय रायपुर तथा जिला कलेक्टर कार्यालय पाली(रिकॉर्ड रूम) में तलाश करवाई गई परन्तु आवंटन नक्शा उपलब्ध नहीं हुआ। रीको द्वारा अवगत करवाया गया कि उद्योग विभाग रीको के ऑफिस में भी आवंटन आदेश के साथ नक्शा संलग्न नहीं है। केवल दिनांक 06.08.1997 को कब्जा सुपुर्दगी फर्द नक्शा पटवारी हल्का सेंदड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक सेंदड़ा, रीको प्रतिनिधि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पाली व सहायक स्थल अभियन्ता की उपस्थिति वाला नक्शा उपलब्ध करवाया है रीको ने निवेदन किया कि वर्तमान तरमीम रीको के कब्जा सुपुर्दगी में दर्शाये नक्शा अनुरूप नहीं होने से रीको को आवंटित खसरों में 120 बीघा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित है तथा शेष खसरों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये वर्तमान तरमीम में संशोधन का आग्रह किया है। सेग्रीकेशन से पूर्व के प्रचलित लट्ठे नक्शे की तरमीम और वर्तमान भू-नक्शा की तरमीम एक समान है अतः रीको की तरमीम दुरस्ती की माँग का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवंटन आदेश के साथ आवंटन नक्शा किसी भी स्तर पर नहीं मिलने से मौके पर भौतिक स्थिति एव दिनांक 06.08.1997 रीको(आवंटित भूमि) कब्जा सुपुर्दगी फर्द नक्शा को आधार मानकर वर्तमान नक्शे में संशोधन किया जा सकता है। कब्जा सुपुर्दगी फर्द नक्शा तत्कालीन पटवारी आई. एल. आर. एवं रीको प्रबंधन आधिकारियों कि उपस्थिति में नक्शा स्केल नाप पर मुटाम दर्शाते हुये तैयार किया हुआ है जोकि वर्तमान विकसित औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलान भी करता है साथ ही आवंटित भूमि की बाहरी सीमा के चारों भुजाओं में से तीन ओर की भुजा में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तीन ओर की भुजाओं में एक तरफ दवे नगर गाँव की सीमा, दूसरी ओर ब्यावर जिला अजमेर की सीमा तीसरी ओर एन. एच. 162 की सीमा है। आवंटन भूमि के कब्जे का स्थान परिवर्तन किये बिना केवल एक ओर की बाहरी भुजा में कब्जा सुपुर्दगी फर्द नक्शा अनुसार नक्शा संशोधन किया जाता है तो इसमें भौतिक रूप से किसी भी निजी व्यक्ति का कब्जा/हित भी प्रभावित नहीं होता है। उस तरफ सरकारी खसरे का ही पहाड़ी भू-भाग है। तथ्यों का गहनता से परीक्षण करने एवं मौके की भौतिक स्थिति को देखते हुये वर्तमान रीको के खसरों की तरमीम में संशोधन लॉजिकल लगता है। आवंटन नक्शा उपलब्ध नहीं होने से कब्जा सुपुर्दगी अनुसार नक्शा संशोधन प्रस्तावित है। श्रीमान से निवेदन है कि रीको की आवंटित कुल रकबा 66.3901 हेक्टेयर (262 बीघा 09 बिस्वा) खसरा नं. 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68/2, 68/3, 68/4, 68/41, 68/496, 68/497, 68/503, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89,106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,129, 130, 131, 132, 133, 63, व 74 कुल खसरे 54 रीको के नाम अवासि आदेश के अनुरूप है जो आदिनांक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसमें से मौके पर 120 बीघा (75 एकड़) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करके फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। शेष भूमिको भी रीको द्वारा विकसित किया जाना है।दिनांक 01.03.1997रीको को आदेश क्रमांक एफ12 (3) (15)/राज/96/1189,सारांशतः निवेदन है कि एफ 4 (19) इण्ड / आई/97, दिनांक 19.03.1997 व प4 (19) उ(आई)97, दिनांक 31.01.2004 के द्वारा कुल 262 बीघा 09 बिस्वा जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रीको के नाम वर्तमान में रीको को अवास कुल 262 बीघा 09 बिस्वा का नक्शा 06.08.1997 को नक्शा सुपुर्दगी फर्द के अनुसार आवंटित नक्शे को शामिल करते हुये नवीन नक्शे की माँग की गई है। रिकॉर्ड में आवंटन नक्शा नहीं मिलने से नवीन नक्शा अनुमोदन आवश्यक है। रीको के खसरों के पूर्व कब्जा अनुसार ही नक्शे का स्थान व भौतिक स्थिति में परिवर्तन किये बिना नक्शे की बाहरी सीमा में संशोधन करने से रीको को आवंटित कुल 262 बीघा 09 बिस्वा क्षेत्रफल पूरा करते हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नवीन नक्शा सुपुर्दगी फर्द एवं मौका कब्जा को ध्यान में रखते हुये नवीन नक्शा श्रीमान को पूर्वनिर्धारण एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

बहस सुनी गई, बहस एवं तहसीलदार रायपुर के जबाव को अवलोकन के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि सरहद मौजा सराधना पटवार हल्का अमरपुरा के खसरा नम्बर . 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68/2, 68/3, 68/4, 68/41, 68/496, 68/497, 68/503, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89,106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,129, 130, 131, 132, 133, 63, व 74 में वर्तमान तरमीम को खारिज करते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसार संसोधन किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा सराधना पटवार हल्का अमरपुरा के खसरा नम्बर . 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68/2, 68/3, 68/4, 68/41, 68/496, 68/497, 68/503, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89,106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,129, 130, 131, 132, 133, 63, व 74 में वर्तमान तरमीम को खारिज करते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसार संसोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

यह निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर